क्षेत्रीय कार्यालय

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

पंचदीप भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,पटना-800001

प्रेस विज्ञप्ति

कोविड राहत योजना के अंतर्गत हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक 09/05/2022

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पंचदीप भवन, बेली रोड, पटना स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में एक सादे समारोह में पटना में कार्यरत कर्मचारी **पारस साह** की कोरोना से हुई मृत्यु पर उनकी पत्नी श्रीमती रीना देवी तथा आश्रित पुत्रों चिरंजीवी अनिकेत साह एवं मोहित साह को **क०रा० बी० निगम, बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक सत्यजीत कुमार** द्वारा **कोविड-19 राहत योजना** के अंतर्गत हितलाभ प्रदान किया गया तथा संवेदना व्यक्त की गयी| स्व० पारस साह 'मेसर्स एलाईट फाइकान्स सिक्यूरिटी सर्विस' कंपनी में कार्यरत थे | अतः उन्हें बिहार क्षेत्र से इस योजना का लाभ प्रदान किया गया|

कोविड-19 राहत योजना के अंतर्गत बीमायोग्य रोजगार में रहते हुए किसी बीमित व्यक्ति की कोविड-19 से मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों को हितलाभ प्रदान किया जाता है| इसके अंतर्गत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है|

उनके परिजनों ने ई० एस० आई योजना में बीमित कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत प्राप्त होने वाले हितलाभ पर संतोष प्रकट किया| **आश्रित पत्नी को ई० एस० आई की सामाजिक सुरक्षा का लाभ जीवन पर्यंत मिलेगा एवं आश्रित पुत्रों को पात्रता की उम्र तक यह लाभ मिलेगा|** आश्रिता पत्नी को ई० एस० आई की विशेष योजना की सदस्यता भी दी गयी जिसमें उन्हें मात्र 120 रुपये प्रतिवर्ष की मामूली अग्रिम राशि जमा करने पर ई० एस० आई डिस्पेंसरी तथा ई० एस० आई अस्पताल से जीवन पर्यंत चिकित्सा सुविधा भी मिलती रहेगी. 25 वर्ष की आयु तक आश्रित पुत्र को तथा विवाह होने तक आश्रित पुत्री को भी आश्रित हितलाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान है|

दिवंगत कर्मचारी की पत्नी ने ऐसे कठिन समय में ई0 एस० आई से मिले इस सहायता व सहारे को अतुलनीय बताया और कहा कि ई०एस०आई० योजना देश की सचमुच ऐसी योजना है जो ऐसे कठिनतम परिस्थिति में कर्मचारी के बेसहारा हुए आश्रितों को सहारा प्रदान करती है|

क्षेत्रीय निदेशक